

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 06.05.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-258/18 व 157/17 धारा 379/411 भादवि के वारन्टी अभियुक्त कालू पुत्र बदलू निवासी ग्राम लाडपुर पैठ थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-81/11 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के वारन्टी अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ हिरई पुत्र सुग्गा कंजड निवासी ग्राम लाडपुर पैठ थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0026/2025 व मु0अ0सं0 0056/2025 धारा 331(4)/305/303(2)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1. अर्जुन कंजड़ पुत्र जयकरन निवासी ग्राम भगवन्तपुर थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर 2. महेश पुत्र लाखन निवासी ग्राम भगवन्तपुर थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0115/2025 धारा-342/365/328 भादवि में वांछित अभियुक्त शिवराज सिंह यादव पुत्र रामबली यादव निवासी ग्राम पौली थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त श्रीराम पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम कटरा भैंसोर थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा नाजायज 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-118/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामकिशन निवासी सिठमरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात 2. रविन्द्र कुमार पुत्र रज्जन लाल निवासी सिठमरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात 3. हरीशंकर पुत्र बाबू गिरी निवासी मन्दिर चौराहा जिनई थाना रूरा कानपुर देहात 4. रमाकान्त पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी बेनीगांव जिनई थाना रूरा जनपद कानपुर देहात 5. छोटे लाल पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी बेनीगांव थाना रूरा जनपद कानपुर देहात अभियुक्तगण द्वारा बेनीगांव में तालाब के किनारे ताश के पत्तों से रूपयों की हारजीत लगाकर जुआं खेलना एवं अभियुक्तों से 29630 रु0 व 52 तास के पत्ते बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-134/25 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अमराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रनियां पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।